न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–43 / 2015

मंजू देवी वगैरह.....वादीगण

बनाम

सूचिता देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

16.09.22 अभिलेख आज प्रतिवादी तृतीय पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 दीवानी प्रकिया संहिता, दिनांक–01.09.2017 तथा उसके तत्संबंधित वादीगणों द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक–01.12.2017 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी तृतीय पक्ष ने यह निवेदन किया है कि उनकी ओर से दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत वाद खारिजी के संबंध में एक आवेदन आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत इस आधार पर दिया था कि वादी सं0–1 से 6 एवं प्रतिवादी सं0–7 से 15 नागेश्वर साह के वंशज थे जो अपने पीछे सीताराम साह एवं रामचन्द्र साह को छोड़कर मरे और प्रतिवादी तृतीय पक्ष स्व0 रामचन्द्र साह के वंशज हैं। सीताराम साह द्वारा एक हकियत वाद सं0–95 / 1968 मुंसिफ द्वितीय, समस्तीपुर के न्यायालय में समान विवादित भूमि एवं कारण हेतुक के साथ दाखिल किया गया था जो मुकदमा दिनांक–18.06.1973 को व्यतिक्रम के आधार पर खारिज हो गया, परन्तु उस खारिजी आदेश के विरुद्ध वादीगणों द्वारा कोई विविध आवेदन उपरोक्त आदेश को खारिज करते हुए वाद को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल नहीं किया गया। अतः वर्तमान मुकदमा दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत बाधित है और आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में वादी ने यह निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण तथा क्षल–प्रपंच पर आधारित होने के कारण न्यायालय के बहुमूल्य समय को बर्बाद करने हेतु दाखिल किया गया है एवं खारिज किए जाने योग्य है। उन्हें पूर्व के मुकदमा के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी और इसकी जानकारी उन्हें प्रतिवादी तृतीय पक्ष के द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन के पश्चात् हुई, परन्तु उन्होंने यह अभिकथन किया है कि जब अभिलेखागार में जाकर उस मुकदमें का पता कराया तब उसके सत्यता की जानकारी हुई और पता चला कि वह मुकदमा वादिनी के पिता द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उस समय वादिनी की उम्र मात्र तीन वर्ष की थी। अतः जानकारी का न होना आवश्व्यंभावी है। वर्तमान वाद आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत बाधित नहीं है, चूँकि यह वाद बिल्कुल नया दाखिल किया गया है एवं पुराने वाद में और वर्तमान वाद में पक्षकार विषय–वस्तु कारण हेतुक एवं मांगा गया अनुतोष समान नहीं है। उक्त वाद की जानकारी सीताराम साह द्वारा उन्हें नहीं दी गई थी और पर्दानशी महिला होने के कारण उन्हें नहीं हो सकी। हकियत वाद सं0–95 / 1968 केवाला दस्तावेज के रद्द किए जाने हेतु दाखिल था जबकि वर्तमान मुकदमा दखल–कब्जा वापसी के लिए दाखिल है एवं दिनांक–02.04.2015 को विवादित भूमि पर प्रतिवादी तृतीय पक्ष द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अतः

P.T.O.

T.S 53/15

16.09.22 कथन–कारण भिन्न है एवं प्रतिवादी तृतीय पक्ष का आवेदन खरिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादीगणों द्वारा केवाला दस्तावेज दिनांक–03.04.1968 को शून्य घोषित करने के अनुतोष के साथ वर्तमान वाद अन्य अनुतोष के साथ दाखिल किया गया है तथा विवादित भूमि पर दखल–कब्जा वापसी की डिक्री की मांग किए हैं। अतः उनके उपरोक्त अभिकथन के अनुसार उनके पिता सीताराम साह द्वारा हकियत वाद सं0–95/1968 का दाखिल किया जाना उसमें उपरोक्त केवाला को प्रश्नगत किया जाना तथा उस वाद का व्यतिक्रम के आधार पर खारिज किया जाना वादीगणों द्वारा स्वीकृत है। अब न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या पूर्व में खारिज उपरोक्त हकियत वाद सं0–95/1968 का खारिजी आदेश दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 की परिधि में आता है अथवा नहीं। इस संबंध में वादीगणों अथवा आवेदक प्रतिवादी तृतीय पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे की यह अवधारित हो सके कि वह मुकदमा दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 के अंतर्गत प्रतिवादी की उपस्थिति में सुनवाई के दौरान वादी को अनुपसंजात पाते हुए पारित किया गया हो, परन्तु वादीगणों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि वह मुकदमा व्यतिक्रम के आधार पर खारिज है तो यह प्रश्न स्वभाविक है कि पूर्व में दाखिल वाद के होते हुए वर्तमान वाद के संचालन के संबंध में यह अभिनिर्धारण अवश्य होना चाहिए कि क्या यह वाद विधितः पोषणीय है अथवा नहीं। अतः इस संदर्भ में पोषणीयता के बिन्दु पर निम्नलिखित विवाद्यक गठित करते हुए अभिलेख को आवेदक साक्ष्य पर नियत किया जाता है एवं प्रतिवादी तृतीय पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित विवाद्यक के अग्रसरण में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें।

क– क्या यह वाद दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 के अंतर्गत विधि द्वारा बाधित है तथा क्या यह वादपत्र आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत खारिज किए जाने योग्य है?

अभिलेख दिनांक–११.११.२२ वास्ते प्रारम्भिक विवाद्यक पर आवेदक प्रतिवादी तृतीय पक्ष के साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

16/11/22

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी